2022/343

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट — **बनाम** — **अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट**

श्री नटवरसिंह पुत्र श्री मानसिंह जी बीका निवासी गुलाबगंज तहसील रेवदर जिला सिरोही।

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** मुकदमा न. 63 वर्ष 2022

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
15.09.2022	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनांक 27.07.2022, को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत गुलाबगंज में दिनांक 12.10.2021 को आयोजित प्रशासन गांवों के संग शिविर में उपस्थित सभी विभागों के अधिकारियों के नाम व पद मय पता सहित की सूची एवं शिविर में प्राप्त शिकायतों की प्रति एवं मौके पर कितनी शिकायतों का निवारण किया गया, उनकी सूचि एवं उक्त शिकायतों पर की गई जाच की प्रति एवं उक्त शिकायत के निवारण करने में हुई देरी के कारणों एवं दोषी अधिकारियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है । अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनांक 27.07.2022, को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत गुलाबगंज में दिनांक 12.10.2021 को आयोजित प्रशासन गांवों के संग शिविर में उपस्थित सभी विभागों के अधिकारियों के नाम व पद मय पता सहित की सूची एवं शिविर में प्राप्त शिकायतों की प्रति एवं मौके पर कितनी शिकायतों का निवारण किया गया, उनकी सूचि एवं उक्त शिकायतो पर की गई जांच की प्रति एवं उक्त शिकायत के निवारण करने में हुई देरी के कारणों एवं दोषी अधिकारियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली का अवलोकन करने पर यह प्रतीत होता है कि उपरोक्त सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रेवदर से सम्बन्धित होने से लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही द्वारा जरिए पत्र क्रमांक 977 दिनांक 01.08.2022 के द्वारा अपीलांट का मूल आवेदन तहसील कार्यालय रेवदर को स्थानान्तरित कर दिया था। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रेवदर को आदे[illegible] जाता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई समस्त सूचना त[illegible] सूचना देना नियमो मे संभव नही हो तो स्पे[illegible] आदेश पारित [illegible] अपीलांट को सूचित करें। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार [illegible] कर नंबर से कम हो । (हस्ताक्षर) (डॉ. भँवर लाल) **जिला कलक्टर, सिरोही**	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 18:30:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner